प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   जनपद गोरखपुर ।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
   जनपद गोरखपुर ।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019—20/4033-2 दिनांकः05.08.2019

विषयः— राज्य स्तरीय दल द्वारा 23 से 26 जुलाई 2019 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 23 से 26 जुलाई, 2019 तक जनपद गोरखपुर की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पवर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः **पर्यवेक्षण आख्या**

भवदीय

(थमीम अंसारिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018—19/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, गोरखपुर मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, गोरखपुर मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अश्वनि कुमार)
महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कार्यक्रम/
मण्डलीय नोडल — गोरखपुर

जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण

जनपद : गोरखपुर, दिनांक :23–26 जूलाई 2019

1. श्री अरविन्द उपाध्याय, तकनीकी परामर्शदाता, प0क0।
2. श्री परीक्षित चौधरी–ऑडिटर, वित्त विभाग।

1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र–_भगौरा, सहजनवा, गोरखपुर ।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नही पाई गई।	दल द्वारा ए0एन0एम0 को उपकेन्द्र में बायो वेस्ट हेतु एक पिट बनाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
2	प्रिण्टेड ए0एन0सी0 रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर उपकेन्द्र में नही पाये गये।	बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह प्रिन्टेड ए0एन0सी0 रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन आदि के रजिस्टर ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	बी0पी0एम0
3	परिवार नियोजन सम्बंधी कोई भी साधन उपलब्ध नही था।	बी0सी0पी0एम0 को सुझाव दिया गया कि वह उपकेन्द्र स्तर पर परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	
4	प्रसव कक्ष में मानकानुसार ट्रे, कैलीस पैड, डिजीटल वॉच, ब्यालर की सुविधा, प्रसव सम्बंधी औषधियॉ, ग्लब्स, ग्लूको मीटर का स्ट्रिप, आई0एफ0ए0 सिरप आदि उपलब्ध नही थे। उपकेन्द्र पर मात्र 2 प्रसव इस वर्ष हुए है। उपकेन्द्र की हालत देखने में प्रतीत हुआ कि उपकेन्द्र पर प्रसव नही होते है, जबकि ए0एन0एम0 शान्ती सिंह एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्राप्त हैं।	प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक समाग्री, औषधि एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया। उक्त के साथ ही चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि ए0एन0एम0 को द्वारा अन्य उपकेन्द्रो पर भी प्रसव में सहायता ली जा सकती है।	चिकित्सा अधीक्षक

2. समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सहजनवा–एफ0आर0यू0, गोरखपुर।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सालय के ओ0टी0 में ए0सी0 कियाशील नही थी। ब्यायल्स ट्रॉली कियाशील नही है। क्वाट्री उपलब्ध नही है। ऑटोक्लेव मशीन ओ0टी0 कक्ष में प्रयोग में लाया जा रहा है।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित इकाई पर समस्त उपकरण की व्यवस्था करायें तथा ऑटोक्लेव मशीन को नियमानुसार ओ0टी0 कक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य कक्ष में रखा जाये।	एम0ओ0आई0सी0 **सहजनवा**
	डिजीटल वाच उपलब्ध नही थी।	वाच लगवाने हेतु सुझाव दिया गया।	एम0ओ0आई0सी0 **सहजनवा**
	संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स का फॉलो स्टाफ द्वारा नही किया जा रहा है। सीरिंज एवं रैपर एक ही डस्टबिन में डाली जा रही है।	स्टाफ नर्सो/ए0एन0एम0 को संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स के सम्बन्ध में अभिमुखीकृत किया गया। सिरिंज को हब कटर से काट कर सार्प कन्टेनर में रखकर विधिवत निस्तारण करने का सुझाव दिया गया।	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0

	परिवार नियोजन में प्री–रजिस्ट्रेशन स्लिप आशाओं द्वारा उपयोग में नही लाया जा रहा है।	प्री–रजिस्ट्रेशन स्लिप आशाओं को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
	परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक सामाग्री यथा आई0यू0सी0डी0 कन्डोम ओ0सी0 पिल्स आदि उपलब्ध नही था।	सी0एच0सी0 से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
	जे0एस0.वाई0 वार्ड में गर्भवती माताओं को सम्पूर्ण डाइट की सुविधा उपलब्ध नही है।	जे0एस0वाई के अन्तर्गत गर्भवती माताओं को भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी का सुझाव दिया गया।	एम0ओ0आई0सी0 **सहजनवा**
	ब्लड स्टोरेज यूनिट आवश्यक उपकरणों के अभाव में क्रिया शील नही है।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि ब्लड स्टोरेज यूनिट में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर यूनिट को क्रियाशील किया जाये जिससे लाभार्थियों को समयानुसार रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।	

3. वी0एच0एन0डी0 सत्र, हरपुर,ब्लॉक– कौड़ीराम

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नही था।	बी0सी0पी0एम0 को एच0आर0पी0 रजिस्टर, सामग्री वितरण रजिस्टर आदि ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	बी0सी0पी0एम0
2	गर्भ निरोधक सामाग्री वितरण रजिस्टर उपलब्ध नही था।		
3	सत्र में उपस्थित लोगो को परिवारा नियोजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी नही थी।	ए0एन0एम0 को सुझाव दिया गया कि वह समुदाय को परिवार नियोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के विषय में निरन्तर जानकारी दे।	

4. स्वास्थ्य उपकेन्द्र–चौरिया बुजुर्ग, ब्लॉक– कौड़ीराम

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
	इस उपकेन्द्र में प्रति माह 30–35 प्रसव हो रहे है, परन्तु श्रीमती सावित्री सिंह,ए0एन0एम0 एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्राप्त नही है।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह ए0एन0एम0 को एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हेतु नामित करे।	
	उपकेन्द्र में ब्रायलर उपलब्ध नही है।	ए0एन0एम0 को सुझाव दिया गया कि केन्द्र पर एक ब्रायलर की व्यवस्था कराये।	

5. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र–दीवान बाजार, गोरखपुर।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
2	01 मेडिकल आफीसर, 02 स्टाफ नर्स उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रसव नही कराये जा रहे हैं।	मेडिकल आफीसर को सुझाव दिया गया कि वह स्टाफ नर्स को एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हेतु नामित करे।	
9	आईब्रूफेन, नीमोस्लीइड, इन्जेक्शन, डियोडोलिन,ब्युटाकाड, कफ सिरप, लैब हेतु विडॉल रीजेन्ड आदि उपलब्ध नही	शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दवाओं की	

	है।	उपलब्धता सुनिश्चित करें।	
10	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर अन्तरा एवं छाया की प्रिन्टेड रजिस्टर एवं उपलब्धता की वालपेन्टिंग नही है।	शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को सुझाव दिया गया कि शीघ्र ही सम्बन्धित वालपेण्टिंग कराने एवं प्रिन्टेड रजिस्टर को उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण कराये।	

6. जिला महिला चिकित्सलय, गोरखपुर।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
4	अन्तरा एंव छाया की उपलब्धता पर वाल–पेण्टिंग नही करायी गई है।	हास्पिटल प्रबन्धक को को वाल–पेण्टिंग का कार्य पूर्ण कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
	स्टोर में मेडिकल कॉरपोरेशन से ऐसी भी दवाएं सप्लाई की जा रही है, जिनका उपयोग महिला चिकित्सालय में नही है यथाः इन्जेक्शन प्रोलिडॉक्सिन, लबिटालोल, इण्डोमेथेसिन इत्यादि। मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा ऐसी दवाईयां जो ड्रॉप्स में आनी चाहिये, वे बॉटल्स में उपलब्ध करायी जा रही है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर लिया जायेगा एवं चिकित्सालय में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित कर ली जायेगी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
	जिला महिला चिकित्सालय नवनिर्मित 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में चलायी जा रही है। हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट द्वारा बताया गया कि इस बिल्डिंग का निर्माण करने वाली एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा बहुत जगहों पर छोटी–छोटी कमियां छोड़ रखी है।	राजकीय निर्माण निगम के सुपरवाइजर से दल के सदस्य द्वारा फोन पर वार्ता की गई एवं उनको यह निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर उन कमियों को दूर करने की कार्यवाही करें एवं हॉस्पिटल मैनेजर से इस कार्य का फॉलो–अप करने का सुझाव दिया गया।	हॉस्पिटल मैनेजर

....

जनपद गोरखपुर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या

दिनांक 23.07.2019 से 26.07.2019

अवगत कराना है कि 01.04.2012 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव अनिवार्य कर दिया गया है।आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद **गोरखपुर के जनपदीय चिकित्सालय ,जनपदीय महिला चिकित्सालय , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (कौड़ीराम एवं चरगवां)** एवं **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सहजनवा)** के लेखा–भिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। लेखा अभिलेख उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखांकन, लेखा अभिलेख का रख–रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन से आख्या निम्नवत है।

वित्तीय वर्ष 2019–20

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :–(सहजनवा) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत हैः–

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	कार्यक्रमवार दिनाँक 28.06.2019 तक की कैश बुक की प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग नहीं की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कि जा रही है ।	प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग की जानी चाहिए ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
2	ब्लॉक के टैली डाटा में रूपए 32,98,469.00 का ओपनिंग डिफरेंस पाया गया जो यह दर्शाता है की टैली डाटा की फीडिंग अपूर्ण है ।	टैली डाटा एंट्री की फीडिंग की जानी चाहिए ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
3	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
4	माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की रिपोर्ट मे व्यय कैश बुक मे दर्शाए गए है जब की टैली डाटा मे व्यय नहीं दर्शाए गए है जो निम्नवत हैः– Date — Amount(Rs) 06.04.2019 — 6990/- 08.04.2019 — 4000/- 04.05.2019 — 500/- 06.05.2019 — 1,07,800/-	टैली डाटा एंट्री की फीडिंग की जानी चाहिए ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>08.05.2019</td><td>13100/-</td></tr><tr><td>08.05.2019</td><td>1000/-</td></tr><tr><td>14.05.2019</td><td>6825/-</td></tr><tr><td>14.05.2019</td><td>2000/-</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की रिपोर्ट मे व्यय टैली डाटा मे दर्शाए गए है जब की कैश बुक मे व्यय नहीं दर्शाए गए है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन से आख्या निम्नवत है:–<table><tr><th>Date</th><th>Amount(Rs)</th></tr><tr><td>06.04.2019</td><td>6990/-</td></tr><tr><td>08.04.2019</td><td>4000/-</td></tr></table></td><td>कैश बुक में एंट्री दर्शाई जाए ।</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>6</td><td>टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।</td><td rowspan="3">ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी</td></tr>
<tr><td>7</td><td>निरीक्षण के दौरान कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए।</td><td>कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध करना चाहिए था ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।</td><td>जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>रोगी कल्याण समिति की कैश बुक नहीं बनाई गई है।</td><td>कैश बुक शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>10</td><td>अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी का बिल दिनॉक 30.05.2019 पि०एफ०एम०एस० संख्या C051920665447 द्वारा बिना सत्यापित किये रूपए 23940 का भुगतान किया गया ।</td><td>बिलो का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यतापित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाए।</td><td rowspan="2">ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी</td></tr>
<tr><td>11</td><td>निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया ।</td><td>स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था ।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td><td>एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>13</td><td>रोगी कल्याण समिति वर्ष 2016–17 का ऑडिट नही कराया गया है।</td><td>रोगी कल्याण समिति वर्ष 2016–17 का ऑडिट तुरंत कराया जाए ।</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी</td></tr>
</table>

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः— (कौड़ीराम) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत हैः—

<table>
<tr><th>कम संख्या</th><th>अवलोकन बिन्दु</th><th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</th><th>जिम्मेदार व्यक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ब्लॉक के टैली डाटा में रुपए 34,65,465.00 का ओपनिंग डिफरेंस पाया गया जो यह दर्शाता है की टैली डाटा की फीडिंग अपूर्ण है ।</td><td>टैली डाटा एंट्री की फीडिंग की जानी चाहिए ।</td><td rowspan="2">ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की रिपोर्ट मे व्यय टैली डाटा मे दर्शाए गए है जब की कैश बुक मे व्यय नहीं दर्शाए गए हैः—
<table>
<tr><th>Date</th><th>Amount(Rs)</th></tr>
<tr><td>17.05-2019</td><td>27500.00</td></tr>
<tr><td>17.06-2019</td><td>30160.00</td></tr>
<tr><td>17.06.2019</td><td>13034.00</td></tr>
<tr><td>26.06.2019</td><td>33000.00</td></tr>
<tr><td>26.06.2019</td><td>5720.00</td></tr>
</table></td><td>कैश बुक में एंट्री दर्शाई जाए ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।</td><td rowspan="5">ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकत्सा अधिकारी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।</td><td>प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मेसर्स ओम साई इण्टरप्राइज को बिना वर्क आर्डर एवं कोटेशन के बिना रू0 27500.00 का भुगतान किया गया।</td><td>रू 20,000.00 से ऊपर तथा रू1,00,000.00 तक के भुगतान में वर्क आर्डर एवं कोटेशन की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मेसर्स नरायण एण्ड सन्स को रू0 23595.00 का भुगतान किया गया, निरिक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान के साथ वर्क ऑर्डर और कोटेशन पर तारीख अंकित नही थी।</td><td rowspan="2">वर्क ऑर्डर और कोटेशन पर तारीख अंकित की जानी चाहिए थी।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>मेसर्स रीयल मेकर्स को रू0 33000.00 का भुगतान किया गया,</td></tr>
</table>

	निरिक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान के साथ वर्क ऑर्डर और कोटेशन पर तारीख अंकित नही थी।		
8	रोगी कल्याण समिति के वाउचर्स का रख–रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है।	रोगी कल्याण समिति के वाउचर्स का रख–रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
9	दिनांक 20.05.2019 को जेनरेटर के पेट्रोल के लिये रू0 26250.00 का भुगतान किया गया। जॉच के दौरान भुगतान से सम्बन्धित बिल नही पाया गया।	बिना बिल संग्लक किये किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
10	डेड स्टॉक रजिस्टर नही बनाया गया है।	डेड स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
11	निरीक्षण के दौरान डाईट रजिस्टर नही उपलब्ध कराया गया ।	डाईट रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
12	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
13	आशा पेमेंट के फार्म सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराए गये।	आशा पेमेंट के फार्म तैयार एवं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	बी०सी०पि०एम०/ प्रभारी चिकत्सा अधिकारी

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :–(चरगवा) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत हैः–

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
2	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।	
3	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
4	रोगी कल्याण समिति की कैश बुक नहीं बनाई गई है।	कैश बुक शीघ्र	

		अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
5	डेड स्टॉक रजिस्टर नही बनाया गया है।	डेड स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	
6	निरीक्षण के दौरान डाईट रजिस्टर नही उपलब्ध कराया गया	डाईट रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
7	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
8	आशा पेमेंट के फार्म सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराए गये।	आशा पेमेंट के फार्म तैयार एवं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	बी०सी०पि०एम०/ प्रभारी चिकत्सा अधिकारी

4. जिला महिला चिकित्सालय (गोरखपुर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:–

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।	पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से शीग्र अतिशीघ्र कराया जाए	सी०एम०एस०/ अकाउंटेंट
2	अकाउंटेंट द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	
3	डेड स्टॉक रजिस्टर नही बनाया गया है।	डेड स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	
4	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	

5. जिला चिकित्सालय (गोरखपुर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:–

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	सी०एम०एस० / अकाउंटेंट
2	दिनांक 19.04.2019 एवं 30.04.2019 को आकृति कंस्ट्रक्शन को जेनरेटर के पेट्रोल के लिये रू0 26250.00 का भुगतान किया गया। निरिक्षण के दौरान भुगतान से सम्बन्धित बिल नही पाए गए।	बिना बिल संग्लक किये किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए ।	

....

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   जनपद गोरखपुर ।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
   जनपद गोरखपुर ।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019—20/ दिनांकः 05.08.2019

विषयः— राज्य स्तरीय दल द्वारा 23 से 26 जुलाई 2019 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 23 से 26 जुलाई, 2019 तक जनपद गोरखपुर की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पवर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः **पर्यवेक्षण आख्या**

भवदीय

(थमीम अंसारिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018—19/ 4033-2(5) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, गोरखपुर मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, गोरखपुर मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अश्वनि कुमार)
महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कार्यक्रम/
मण्डलीय नोडल — गोरखपुर